भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2706 का उत्तर

दावणगेरे, कर्नाटक में रेलवे पुलों/अंडरपास/लिंक रोड/फुटपाथ का निर्माण

2706. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की दावणगेरे मछली बाजार (फिश मार्केट) में रेलवे पुल अथवा अंडरपास, दावणगेरे में अशोक टाकीज में लिंक रोड, जो इस समय यात्रियों के आवागमन के लिए संकरा है और दावणगेरे में लिंगेश्वर मंदिर के लिए एक मार्ग का निर्माण करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्थानों पर रेल पुल/अंडरपास/लिंक रोड/फुटपाथ के निर्माण की व्यवहार्यता का निरीक्षण करने के लिए रेल अधिकारियों का एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों को स्वीकृत करना भारतीय रेल की सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों की रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा, रेलगाड़ियों की गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

2004-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित उपरि/निचले सड़क पुल की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित उपरि/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-24	11,945 अदद (लगभग 3 गुना)

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 92,692 करोड़ रुपए की लागत से 4200 अदद उपरि/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें कर्नाटक राज्य में 2,483 करोड़ रुपए की लागत के 105 उपरि/निचले सड़क पुल कार्य शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। 2014-24 के दौरान, कर्नाटक राज्य में कुल 638 उपरि/निचले सड़क पुल का निर्माण किया गया।

हुब्बल्लि-चिक्कजाजूर खंड में कि.मी. 324/700-800 पर दावणगेरे में एक मौजूदा भूमिगत मार्ग (7.5 मीटर x 2.75 मीटर) है। इस भूमिगत मार्ग का निर्माण रेल फाटक संख्या 199 के स्थान पर किया गया था। जनता की मांग पर, इस स्थान पर एक अतिरिक्त भूमिगत मार्ग (2 x 7.5 मीटर x 4.5 मीटर) का कार्य शुरू किया गया है।

ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों का पूरा होना और उन्हें कमीशन करना समपारों को बंद करने के लिए सहमति देने में पहुंच मार्गों का संरेखण निर्धारित करना, सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित करना, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, बाधक जनोपयोगिताओं को स्थानांतरित करना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करना, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना/क्षेत्र विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने की अवधि आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

******